न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 139/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राजस्थान अनुसुचित जाति सेवा संघ सादडी ज़रिये कार्यवाहक अध्यक्ष निरज डांगी पुत्र दिनेशराय डांगी निवासी एफ 263–प्रियदर्शनी मार्ग, श्याम नगर विस्तार, जयपुर		1– अमराराम पुत्र स्व0 दौलाराम 2– छोगाराम पुत्र स्व0 दौलाराम जाति मीणा निवासी परसराम बगेची सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2020 जो नामांतरकरण प्रकरण संख्या 6/2019 मे तहसीलदार (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) देसूरी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2–श्री विक्रम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सादडी चक प्रथम के पुराने खसरा नंबर 203/13, 203/14/1 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा (जिसके नये खसरा नंबर 1164 रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि) वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 दौलाराम पुत्र नाथाजी मीणा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10–7–74 को बेचान करने पर नामांतरकरण संख्या 963 दिनांक 6–6–76 को अनुसुचित जाति सेवा संघ (वर्तमान अपीलांट) के नाम नामांतरकरण स्वीकृत हुआ । उक्त नामांतरकरण संख्या 963 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने वर्ष 2004 मे जिला कलेक्टर पाली के समक्ष राजस्व अपील संख्या 54/2004 प्रस्तुत की जिस अपील मे न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–9–05 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 963 निरस्त कर बेचाननामा को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रभाव शून्य वर्णित करार दिया । जिला कलेक्टर पाली के उक्त निर्णय दिनांक 27–9–05 के विरूद्ध अपील वर्तमान अपीलांट की ओर से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील संख्या 154/2005 पेश की जाने पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 21–4–2008 को पारित करते हुए प्रश्नगत नामांतरकरण सख्या 963 को वादग्रस्त आराजी के बेचान की धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य मे समुचित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया । उक्त निर्णय दिनांक 21–4–2008 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे प्रस्तुत

30.7.2021
अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निगरानी संख्या 5063/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 1–11–2018 के द्वारा प्रश्नगत बेचाननामा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य मे समुचित जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को रिमाण्ड किया जाने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी मे दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई के नोटिस एवं अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2020 के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण विधिविरूद्ध होने से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे प्राथीगण (वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 व 2) का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय कें सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान संस्थान के व्यवस्थापक की मृत्यु हो जाने के बावजुद अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की कोई खिलाफवर्जी नही हुई है तथा कथन किया कि अपीलार्थी स्वयं एक संस्था है जो अनुसुचित जाति के लोगो के कल्याण हेतु सीापित की गई है, इस कारण इस मामले मे धारा 42 का कोई उल्लंघन नही हुआ है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड आदेश मे दिये गये निर्देशो की पालना किये बिना तथा मौके की कोई रिपोर्ट तलब किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थी वर्ष 1974 से अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर काबिज है जबकि रेस्पो0गण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि बेचानसुदा भूमि किसी भी सुरत मे विक्रेता अथवा उसके वारिसान के नाम दर्ज नही की जा सकती है परंतु तहसीलदार ने इसके विपरीत जाकर जो आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है तथा यह भी कथन किया कि तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा तैयार की गई किसी वेग रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा अपीलाधीन आदेश मे जिस परिपत्र दिनांक 19–11–05 का उल्लेख किया गया है, वह परिपत्र वर्तमान मामले मे लागू ही नही होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

राज॰ कृषि(भ॰)अ॰ आयुक्त
जोधपुर

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील का जवाबनुमा

लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने लिखित बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत होना बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलांट के प्रतिनिधी हरिराम के नोटिस पर उसके मृत्यु हो जाने तथा उसके पुत्र सुरेश द्वारा नोटिस तामिल करना एवं तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट दिनांक 10–2–20 से तामिल होना स्पष्ट है इसके बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था अथार्त अपीलांट का यह कथन सही नही है कि अपीलांट को नोटिस दिये बिना तथा सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–20 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि प्रस्तुत मामले मे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का खुले आम उल्लंघन हुआ है तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया है कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपील संख्या 154/2005 मे पारित निर्णय दिनांक 21–4–2008 मे प्रश्नगत नामांतरकरण को वादग्रस्त आराजी के बेचान की धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य मे समुचित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाने पर तहसीलदार देसूरी ने भू अभिलेख निरीक्षक सादडी एवं पटवारी हल्का सादडी से मौका रिपोर्ट तलब कर इस प्रकरण से संबंधित प्रश्नगत बेचाननामा दिनांक 10–6–74 मे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अपीलाधीन नामांतरकरण के संबंध मे जिला कलेक्टर पाली से विधिक परामर्श चाहा जाने पर तहसीलदार देसूरी के समक्ष दिनांक 10–6–20 को इसप्रकार से परामर्श प्राप्त हुआ कि –"प्रकरण से संबंधित भूमि अनु. जनजाति के व्यक्ति द्वारा राज. अनु. जाति सेवा सेवा संघ जयपुर को बेचान की गई है । राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 19–11–2005 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार – राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार अनु. जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का अंतरण केवल अनु. जाति के व्यक्तियो को तथा अनु. जनजाति के व्यक्तियो द्वारा भूमि का अन्तरण केवल अनु. जनजाति के व्यक्तियो को ही किया जा सकता है । बिन्दु संख्या 7 (2) मे यह स्पष्ट किया है कि यदि अनु. जाति/जनजाति के खातेदार द्वारा ऐसे अनु. जाति/जनजाति के व्यक्ति को विक्रय किया जाता है जो किसी फर्म/सोसाईटी/कम्पनी/विधिक संस्था का पदाधिकारी हो तो नामांतरकरण पंजीयन के आधार पर उस व्यक्ति केता के नाम जो अनु.जाति/अनु. जनजाति का हो उसी के नाम खोला जा सकता है न कि किसी फर्म/सोसाईटी/कम्पनी/विधिक संस्था जिसका वह पदाधिकारी हो।" उक्त परामर्श के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित है जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली मे उपलब्ध पूर्व मे विभिन्न न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो तथा राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 19-11-2005 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अन्य निर्णय नजीरो तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24-6-2020 आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

प्रस्तुत अपील मे वर्णित ग्राम सादडी चक प्रथम के पुराने खसरा नंबर 203/13, 203/14/1 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा (जिसके नये खसरा नंबर 1164 रकबा 0.3200 हेक्टेयर भूमि) वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 दौलाराम पुत्र नाथाजी मीणा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10-7-74 को बेचान करने पर नामांतरकरण संख्या 963 दिनांक 6-6-76 को अनुसुचित जाति सेवा संघ (वर्तमान अपीलांट) के नाम नामांतरकरण स्वीकृत हुआ । उक्त नामांतरकरण संख्या 963 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1, व 2 ने वर्ष 2004 मे जिला कलेक्टर पाली के समक्ष राजस्व अपील संख्या 54/2004 प्रस्तुत की जिस अपील मे न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-9-05 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 963 निरस्त कर बेचाननामा को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रभाव शून्य वर्णित करार दिया । जिला कलेक्टर पाली के उक्त निर्णय दिनांक 27-9-05 के विरूद्ध अपील वर्तमान अपीलांट की ओर से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे अपील संख्या 154/2005 पेश की जाने पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 21-4-2008 को पारित करते हुए प्रश्नगत नामांतरकरण सख्या 963 को वादग्रस्त आराजी के बेचान की धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य मे समुचित जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार देसूरी को आदेशित किया । उक्त निर्णय दिनांक 21-4-2008 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 5063/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 1-11-2018 के द्वारा प्रश्नगत बेचाननामा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष्य मे समुचित जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को रिमाण्ड किया गया ।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 1-11-2018 की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) देसूरी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक से रेकर्ड एवं मौका बाबत रिपोर्ट तलब की गई, चूँकि प्रकरण तीन अपीलीय न्यायालयो क्रमशः जिला कलेक्टर पाली, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर सभी का एक ही मत होने तथा सभी ने प्रस्तुत प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होना माना है । इस परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी ने उनकी आदेशिका दिनांक 17-3-2020 के द्वारा मामले मे जिला कलेक्टर पाली के विधि सहायक से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 मे हुए नवीनतम आदेश/संशोधन आदि की नवीनतम जानकारी हेतु पत्र लिखकर विधिक राय

अ० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्राप्त करने के बाद, पक्षकारो को सुनवाई के नोटिस एवं अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2020 को पारित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 30–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

30.7.2021

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर